

18.02.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। डिक्रीदार ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इस ईजराय पत्र के माध्यम से कराये जाने पालना प्राथमिक डिक्री विभाजन आराजीयात अनुरोध किया। पत्रावली व उपलब्ध संबधित दस्तावेजात के अध्ययन/परिक्षण उपरान्त न्यायालय ने यह पाया कि मूल वाद संख्या 313/16 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.01.2019 के विरुद्ध प्रतिवादीगणों में से श्री शंकर पिता रामगोपाल ब्राहमण द्वारा मा. न्यायालय .आर. ए.ए. में अपील दायर की हुई है, फलस्वरूप मूल पत्रावली वाद संख्या 313/16 को माननीय न्यायालय में संप्रेषित किया गया है। अपील पत्र अब तक विचारणीय है।

ऐसी स्थिति में इस ईजराय पत्र में किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं।

अतः इस मौजूदा ईजराय पत्र में आगे की कार्यवाही मा. न्यायालय .आर.ए.ए से नवीन निर्देश आने तक स्थगित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

फूलियाकला (भीलवाड़ा) राज

